

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/अ0अन्त0/ /2022::लखनऊ::दिनांक::नवम्बर 02,2022

-::आदेश:-

प्र0सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-2, वाराणसी के पत्रांक-155/2022 दिनांक 14.10.2022 पर सम्यक विचारोपरान्त वैट एक्ट की धारा-57(12)(ई)(ii) के अर्न्तगत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-2 वाराणसी से सदस्य,वाणिज्य कर अधिकरण,पीठ-3,वाराणसी को नियमानुसार निस्तारण हेतु अंतरित किया जाता है।

क्रम संख्या	अपील संख्या	फर्म का नाम व पता	क0नि0 वर्ष
1.	43/2022	सर्वश्री हिन्द बेकर्स,शिवाजी नगर,शिवपुरवा,वाराणसी	2017-18

ह0/02.11.2022
(अरविन्द मलिक)
एच0जे0एस0
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

- पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0/अ0हस्ता0/1610/2022, दिनांक उक्त।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2, वाराणसी।
2-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-3, वाराणसी।
3-असि0 कमि0/रा0प्रति0 पीठ-2 व 3,वाराणसी को सूचनार्थ प्रेषित।
4-आदेश की अनुरक्षण पत्रावली हेतु।
5-वेब अधिकारी मुख्यालय।

आज्ञा से,


निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।